भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1277

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव

†**1277. श्री अभिषेक बनर्जी:**

श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के दौरान प्रवासी मजदूरों की राज्य-वार दर्ज संख्या कितनी है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को भाषाई आधार पर विभिन्न राज्यों में हिरासत में लिया गया है या उनके साथ भेदभाव किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मामला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव, विशेषकर भाषा या मूल स्थान और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इसे प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भी उपलब्ध कराया गया है। यह असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने की सुविधा देता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। 03.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रवासी श्रमिकों सहित 31.39 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों की राज्यवार संख्या संलग्न है।

प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंस देने का उपबंध है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाएँ और सुरक्षात्मक वस्त्र आदि प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है।

जारी/-2

यह अधिनियम अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएच) संहिता, 2020 में समाहित हो गया है। ओएसएच संहिता, प्रवासी श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित सभी प्रकार के कामगारों के लिए गरिमापूर्ण कार्यदशाओं, न्यूनतम वेतन, शिकायत निवारण तंत्र, टोल-फ्री हेल्पलाइन, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करती है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मज़बूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता(पोर्टेबिल्टी) के साथ, ये संहिताएँ कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों को श्रम अभिशासन के केंद्र में रखती हैं। यह संहिता प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होगी जहाँ दस या इससे अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन कार्यरत थे।

समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, 'श्रम' का विनियमन राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में करती हैं। केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के अंतर्गत प्रवर्तन प्राधिकारी केंद्रीय क्षेत्र में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों का नियमित निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू करने का अधिदेश दिया गया है।

* ****

अनुबंध

"प्रवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव" के संबंध में श्री अभिषेक बनर्जी एवं श्री कल्याण बनर्जी द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1277 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 03.12.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की राज्यवार संख्या।

क्र.सं.	राज्य	03.12.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34,995
2.	आंध्र प्रदेश	87,65,525
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,12,610
4.	असम	77,81,955
5.	बिहार	3,20,88,940
6.	चंडीगढ़	1,89,688
7.	छत्तीसगढ	86,29,306
8.	दिल्ली	36,02,726
9.	गोवा	87,413
10.	गुजरात	1,22,74,240
11.	हरियाणा	54,13,464
12.	हिमाचल प्रदेश	20,11,538
13.	जम्मू और कश्मीर	36,11,958
14.	झारखंड	97,90,502
15.	कर्नाटक	1,09,84,695
16.	केरल	60,93,770
17.	लद्दाख	35,110
18.	लक्षद्वीप	2,858
19.	मध्य प्रदेश	1,91,32,083
20.	महाराष्ट्र	1,81,99,029
21.	मणिपुर	4,69,441
22.	मेघालय	3,58,615
23.	मिजोरम	72,663
24.	नागालैंड	2,42,170
25.	ओडिशा	1,36,65,326
26.	पुदुचेरी	1,97,398
27.	पंजाब	59,07,395
28.	राजस्थान	1,51,21,791
29.	सिक्किम	50,347
30.	तमिलनाडु	94,89,987
31.	तेलंगाना	46,06,527
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	75,645
33.	त्रिपुरा	9,00,206
34.	उत्तर प्रदेश	8,41,60,051
35.	उत्तराखंड	31,00,938
36.	पश्चिम बंगाल	2,65,36,224
कुल		**31,38,97,129**

******